न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, राँची

विविध वाद सं0–11 आर.15 / 2004–05

इरफानउर रहमान
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

19-03-2008

यह विविध राजस्व वाद इरफानउर रहमान के आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। उन्होंने मौजा तिलता, अंचल कॉके के खाता सं0–90, खेसरा सं0–529, 628 कुल रकबा–7.38 एकड़ का रसीद निर्गत करने के लिए दिया गया था।

श्री इरफानउर रहमान का कहना है कि खतियान में यह जमीन गैरमजरूआ मालिक है लेकिन क्षतिपूर्त्ति वाद सं0–441 में उनके पूर्वजों के नाम से जमींदारी रिटर्न दी गई है। पूर्व जमींदार खान बहादूर हबीबुर रहमान ने अपने रिटर्न में उपरोक्त खेसरों का रिटर्न दिया था।

मैमुना खातुन और फिदाउर रहमान का नाम पंजी–2 में जमींदारी उन्मूलन के बाद इन्दराज किया गया और तदनुसार रसीद भी कटी।

आवेदक का यह भी कहना है कि 1972 में मैमुना खातुन और फिदाउर रहमान के चार लड़का और दो पुत्रियों के बीच आपसी बॅटवारा हुआ जिसके अनुसार निबंधित बसीका भी निबंधन किया गया।

आवेदक का यह भी कहना है कि भू–हदबन्दी वाद सं0–36 / 76 मैमुना खातुन के नाम से प्रारंभ की गई थी जिसमें अपर समाहर्त्ता, भूहदबन्दी द्वारा निर्णय दिया गया था कि उनके द्वारा धारित भूमि सीमा के अन्तर्गत है।

आवेदक का यह भी कहना है कि वर्ष 2004 में अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची सदर के न्यायालय में एक विविध वाद सं0–5192 / 04 प्रारम्भ है जो 60 दिनों के बाद निषेधाज्ञा वापस ले लिया गया है।

रिट याचिका सं0–5192 / 04 में दिनांक–28.09.2004 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि अंचल अधिकारी,

कॉके को आवेदक के आवेदन पर विधि मान्य आदेश पारित करना है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, कॉके का विविध वाद सं0–10/04–05 को देखा गया। इसमें अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक–01.09.2004 को यह आदेश पारित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका सं0–43/04 में पारित आदेश के आलोक में कार्रवाई बन्द की जाती है। लेकिन रीट याचिका संख्या 5192/04 के निर्णय के आलोक में अंचल अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

अंचल अधिकारी के उपरोक्त आदेश अपूर्ण और अपने आप में पूर्ण नही है क्योंकि उन्होंने अपना फैसला नैसर्गिक आधार पर नही पारित किया और सीधे अभिलेख की कार्रवाई बन्द कर दी। चूँकि वर्त्तमान न्यायालय एक रिभीजन न्यायालय है। इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के बाद ही इस स्तर पर सुनवाई की जा सकती है। वर्त्तमान स्थिति ऐसी नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी कागजातों और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0–5192/04 में दिनांक–28.09.2004 को पारित आदेश के आलोक में अपना उचित निर्णय देने हेतु अभिलेख पुनः अंचल अधिकारी, कॉके को रिमांड किया जाता है। विविध वाद सं0–10/04–05 में अंचल अधिकारी द्वारा पारित दिनांक–01.09.2004/ 06.10.2004 का आदेश निरस्त किया जाता है और निदेश दिया जाता है कि पुनः इस मामलें में कागजातों के आलोक में न्यायसंगत निर्णय लें।

लेखापित एवं संशोधित।

19/3/18

अपर समाहर्त्ता,
रॉची।